उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 123 /VII-1/2021/8(16)/19
देहरादून, दिनांकः 19 जनवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 23ग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 8 का संशोधन

2\. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के रिटेल भण्डारण, ईंट रिटेल भण्डारण, ईंट भट्टा परिसर भण्डारण एवं सोपस्टोन भण्डारण /सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु	8. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के रिटेल भण्डारण, ईंट रिटेल भण्डारण, ईंट भट्टा परिसर भण्डारण एवं सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु

सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा।"

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र क्रमशः अनुसूची–2, अनुसूची–5, अनुसूची–6 एवं अनुसूची–7 में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क)(i) रिटेल भण्डारण हेतु पर्वतीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर स्थल का होना आवश्यक होगा, तथा भण्डारण स्थल में वाहनों के पार्किंग, आफिस एवं तोल मशीन हेतु अतिरिक्त 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

(ii) ईट रिटेल भण्डारण हेतु पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर स्थल का होना आवश्यक होगा तथा वाहनों के पार्किन्ग एवं आफिस हेतु अतिरिक्त 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

(ख) वाहन, ऑफिस, तौल मशीन एवं प्लांट के क्षेत्र को छोडकर अवशेष क्षेत्र में खनिज भण्डारण किया

सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा।"

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र क्रमशः अनुसूची–2, अनुसूची–5, अनुसूची–6 एवं अनुसूची–7 में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क)(i) रिटेल भण्डारण हेतु पर्वतीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर स्थल का होना आवश्यक होगा, तथा भण्डारण स्थल में वाहनों के पार्किंग, आफिस एवं तोल मशीन हेतु अतिरिक्त 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

(ii) ईट रिटेल भण्डारण हेतु पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर स्थल का होना आवश्यक होगा तथा वाहनों के पार्किन्ग एवं आफिस हेतु अतिरिक्त 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

(ख) वाहन, ऑफिस, तौल मशीन एवं प्लांट के क्षेत्र को छोडकर अवशेष क्षेत्र में खनिज भण्डारण किया

जायेगा, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 03 मीटर से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मी० ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण किया जा सकेगा।	जायेगा, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 03 मीटर से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मी० ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण किया जा सकेगा।
(ग) आवेदक द्वारा खनिज भण्डारण हेतु खनिज प्राप्त किये जाने वाले वैध स्रोत का अनुबन्ध जिला खान अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत किया जाना होगा।	(ग) आवेदक द्वारा खनिज भण्डारण हेतु खनिज प्राप्त किये जाने वाले वैध स्रोत का अनुबन्ध जिला खान अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत किया जाना होगा। परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा :–	(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा :–
1. उपखनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) एवं सोपस्टोन ट्रेडर के रिटेल भण्डारण हेतु 50,000 टन क्षमता हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 25,000.00 (₹ पच्चीस हजार मात्र) देय होगा तथा इससे अधिक क्षमता बढ़ाने पर प्रति टन ₹ 10, अतिरिक्त शुल्क देय होगा।	1. उपखनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) एवं सोपस्टोन ट्रेडर के रिटेल भण्डारण हेतु 50,000 टन क्षमता हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 25,000.00 (₹ पच्चीस हजार मात्र) देय होगा तथा इससे अधिक क्षमता बढ़ाने पर प्रति टन ₹ 10, अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट / मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लांट/ पल्वराइजर/हॉट मिक्स/ रेडिमिक्स प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण हेतु पृथक से शुल्क देय नहीं होगा। भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति	2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट / मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लांट/ पल्वराइजर/हॉट मिक्स/ रेडिमिक्स प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण हेतु पृथक से शुल्क देय नहीं होगा। भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति

हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का 10 प्रतिशत धनराशि आवेदन शुल्क (बिना वापसी के) आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय तथा अवशेष 90 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त चाहरदीवारी बनाने, धर्मकांटा लगाने एवं सी0सी0टी0वी0 लगाने के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।	हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का 10 प्रतिशत धनराशि आवेदन शुल्क (बिना वापसी के) आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय तथा अवशेष 90 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त चाहरदीवारी बनाने, धर्मकांटा लगाने एवं सी0सी0टी0वी0 लगाने के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा। परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हे कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था / विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित	(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हे कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित

उपजिलाधिकारी एवं खान अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त माना जायेगा। प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा ईंट रिटेल भण्डारण एवं ईट भट्टा परिसर भण्डारण हेतु अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी। उपखनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के रिटेल भण्डारण हेतु जिलाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पत्र को संस्तुति सहित भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति हेतु एक सप्ताह के भीतर मण्डलायुक्त को प्रेषित किया जायेगा तथा सोपस्टोन भण्डारण /सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु ऐसे आवेदन पत्र को संस्तुति सहित एक सप्ताह के भीतर निदेशक को संदर्भित किया जायेगा तथा निदेशक द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा।	उपजिलाधिकारी एवं खान अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त माना जायेगा। प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा ईंट रिटेल भण्डारण एवं ईट भट्टा परिसर भण्डारण हेतु अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी। उपखनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के रिटेल भण्डारण हेतु जिलाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पत्र को संस्तुति सहित भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति हेतु एक सप्ताह के भीतर मण्डलायुक्त को प्रेषित किया जायेगा तथा सोपस्टोन भण्डारण /सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु ऐसे आवेदन पत्र को संस्तुति सहित एक सप्ताह के भीतर निदेशक को संदर्भित किया जायेगा तथा निदेशक द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा। परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।	(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
(5) उपखनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के रिटेल भण्डारण, ईट भट्टा परिसर भण्डारण, ईंट रिटेल भण्डारण एवं सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आवेदित स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:– 1. जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष। 2. संबंधित उप जिलाधिकारी – सदस्य। 3. जिला खान अधिकारी – सदस्य सचिव।	(5) उपखनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के रिटेल भण्डारण, ईट भट्टा परिसर भण्डारण, ईंट रिटेल भण्डारण एवं सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आवेदित स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:– 1. जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष। 2. संबंधित उप जिलाधिकारी – सदस्य। 3. जिला खान अधिकारी – सदस्य सचिव। **परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।**
–	(6) ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल

विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण से निकले मक (Muck) के चिन्हिंत भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र **"एच–1"** मे आवेदन, निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 50,000/– (₹ पच्चास हजार) सहित, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र **"एच–2"** पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी :–

i	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन	सदस्य

	संरक्षक स्तर का अधिकारी	
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत Open Excavation स्थलों एवं रिवर ट्रेनिंग स्थलों से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा;

नियम 9 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये गठित समिति की जॉच आख्या के आधार पर प्रस्तावित भण्डारण स्थल पर एक समय मे रखे जाने वाली कुल खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) की मात्रा के रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरान्त मण्डलायुक्त के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा जिलाधिकारी व निदेशक की संस्तुति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। ईंट भट्टा परिसर भण्डारण एवं ईंट रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा	9. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये गठित समिति की जॉच आख्या के आधार पर प्रस्तावित भण्डारण स्थल पर एक समय मे रखे जाने वाली कुल खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) की मात्रा के रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरान्त मण्डलायुक्त के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा जिलाधिकारी व निदेशक की संस्तुति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। ईंट भट्टा परिसर भण्डारण एवं ईंट रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा

जिलाधिकारी स्तर से 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–''आई'' में अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति, प्रपत्र–''आई'' में 03 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर, जिला खान अधिकारी का दायित्व होगा कि सभी स्वीकृत अनुज्ञा को ई–पोर्टल से जोड़ा जायेगा। सभी भण्डारण अनुज्ञाधारक को स्वीकृति से पूर्व जी0एस0टी0 नम्बर लेना अनिवार्य होगा।	जिलाधिकारी स्तर से 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–''आई'' में अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति, प्रपत्र–''आई'' में 03 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर, जिला खान अधिकारी का दायित्व होगा कि सभी स्वीकृत अनुज्ञा को ई–पोर्टल से जोड़ा जायेगा। सभी भण्डारण अनुज्ञाधारक को स्वीकृति से पूर्व जी0एस0टी0 नम्बर लेना अनिवार्य होगा। **परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।**

नियम 9.क का अतःस्थापन

4. मूल नियमावली के नियम 9 के पश्चात् एक नया नियम 9.क निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

9. क ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के टनलों के निर्माण कार्य से निकलने वाले मक (Muck) में से उपयोगी उपखनिज (usable material) के उपयोग की अनुमति रायल्टी की दोगुनी धनराशि एवं अन्य देयताओं के भुगतान की शर्त पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अवशेष अनुपयोगी मक को स्वीकृत डम्पिंग साईट पर डम्प किया जायेगा। डम्पिंग साईट पर डम्प खनिज मात्रा के परिमाण को कुल उत्खनित मक की मात्रा से घटाते हुए उपयोगी मक/उपखनिज की गणना की जायेगी।

रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना

लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत Open Excavation स्थलों व रिवर ट्रेनिंग स्थलों से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

नियम 11 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11. (2) रिटेल भण्डारण स्थल का सार्वजनिक स्थल, सरकारी वन, रेल मार्ग, नदी आदि से दूरी निम्न प्रकार होगी– (i) पर्वतीय क्षेत्र :– क–धार्मिक स्थल से दूरी–50मी0 ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी –100 मी0 ग–अस्पताल से दूरी– 100 मी0 घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0 ड.–नदी से दूरी–250 मी० च–सरकारी वन से दूरी–10 मी0 (ii) मैदानी क्षेत्र :– क–धार्मिक स्थल से दूरी– 300 मी0 ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी –300 मी0 ग–अस्पताल से दूरी– 300 मी0 घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0 ड़–नदी से दूरी–1500 मी० च–सरकारी वन से दूरी– 100 मी0 परन्तु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों मे स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट के परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु दूरी के मानक वही होंगे, जो इन प्लांटों की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट	11 (2) रिटेल भण्डारण स्थल का सार्वजनिक स्थल, सरकारी वन, रेल मार्ग, नदी आदि से दूरी निम्न प्रकार होगी– (i) पर्वतीय क्षेत्र :– क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0 ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी– 100 मी0 ग–अस्पताल से दूरी– 100 मी0 घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0 ड.–नदी से दूरी–250 मी० च–सरकारी वन से दूरी–10 मी0 (ii) मैदानी क्षेत्र :– क–धार्मिक स्थल से दूरी– 300 मी0 ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी –300 मी0 ग–अस्पताल से दूरी– 300 मी0 घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0 ड़–नदी से दूरी–1500 मी० च–सरकारी वन से दूरी– 100 मी0 परन्तु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों मे स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट के परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु दूरी के मानक वही होंगे, जो इन प्लांटों की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट

व पल्वराईजर प्लांट नीति के अनुसार होंगे।	व पल्वराईजर प्लांट नीति के अनुसार होंगे। **परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।**

नियम 11 का संशोधन

5. मूल नियमावली में :–

(i) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 11 के उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

11. (7) रिटेल अनुज्ञाधारक, खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) भण्डारण हेतु भण्डारण स्थल में एक समय में अधिकतम 03 मी0 ऊंचाई तक तथा स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मीटर ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण कर सकेगा।	11. (7) रिटेल अनुज्ञाधारक, खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) भण्डारण हेतु भण्डारण स्थल में एक समय में अधिकतम 03 मी0 ऊंचाई तक तथा स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मीटर ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण कर सकेगा।
भण्डारण स्थल में प्रथम वार्षिक खनन सत्र में, एक समय पर भण्डारण क्षमता अधिकतम 50,000 मीट्रिक टन होगी तथा आगामी वार्षिक खनन सत्रों हेतु एक समय में भण्डारण क्षमता वर्षानुवर्ष गत वार्षिक खनन सत्र की विक्रित मात्रा का 40 प्रतिशत होगी।	भण्डारण स्थल में प्रथम वार्षिक खनन सत्र में, एक समय पर भण्डारण क्षमता अधिकतम 50,000 मीट्रिक टन होगी तथा आगामी वार्षिक खनन सत्रों हेतु एक समय में भण्डारण क्षमता वर्षानुवर्ष गत वार्षिक खनन सत्र की विक्रित मात्रा का 40 प्रतिशत होगी।
स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु क्षमता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :–	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु क्षमता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :–
(i) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन चुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 90 दिन। वर्षा काल (जुलाई–सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चे माल की एक समय में	(i) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन चुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 90 दिन। वर्षा काल (जुलाई–सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चे माल की एक समय में

भण्डारण क्षमता = 90 x टन प्रति घंटा x संचालन अवधि (औसतन 10 घंटा प्रतिदिन) = टन में। **(ii)** वर्षा काल से भिन्न अवधि अर्थात अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 45 x टन प्रति घंटा x संचालन अवधि (औसतन 10 घंटा प्रतिदिन) (टन में) अनुज्ञाधारक द्वारा उक्त उपनियम की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में, नियम 13 के उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	भण्डारण क्षमता = 90 x टन प्रति घंटा x संचालन अवधि (औसतन 10 घंटा प्रतिदिन) = टन में। **(ii)** वर्षा काल से भिन्न अवधि अर्थात अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 45 x टन प्रति घंटा x संचालन अवधि (औसतन 10 घंटा प्रतिदिन) (टन में) अनुज्ञाधारक द्वारा उक्त उपनियम की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में, नियम 13 के उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। **परन्तु, उक्त प्रावधान ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।**

(ii) उपनियम (8) के पश्चात् क्रमशः उपनियम (9), उपनियम (10) और उपनियम (11) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :–

(9) तकनीकी दल द्वारा किसी भी टनल से निकासी किये गये उपखनिज (Muck) की कुल मात्रा में से उपयोगार्थ उपखनिज की आगणित/सत्यापित मापन मात्रा, संबंधित टनल निर्माण के उपरान्त स्वीकृत मात्रा से कम अथवा अधिक पाये जाने पर, कम अथवा अधिक पाये जाने वाली मात्रा पर देय रायल्टी का समायोजन/भुगतान किया जायेगा।

स्वीकृत उपखनिज की मात्रा पर आंगणित रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य देयों का भुगतान रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा त्रैमासिक किश्तों मे विभागीय लेखा शीर्षक मे अग्रिम जमा किया जायेगा। किश्तों का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत न किये जाने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज लिया जायेगा।

(10) रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत स्थल से उपखनिज की निकासी/उपयोग हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(11) रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा टनल से निकले मक का उपयोग ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना निर्माण कार्य में ही किया जायेगा। रेलवे विकास निगम लिमिटेड/अधिकृत

कॉन्ट्रेक्टर्स के द्वारा टनल से निकले मक का उपयोग अन्यत्र किये जाने की पुष्टि होने पर नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ₹ 1.00 करोड़ (₹ एक करोड़) की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के साथ–साथ अनुज्ञा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

6. मूल नियमावली में इस नियमवली में संलग्न प्रपत्र एच–1 एवं प्रपत्र एच–2 जोड़ दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

प्रपत्र एच–1

रेलवे विकास निगम लिमिटेड हेतु मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए आवदेन पत्र का प्रारूप
(तीन प्रतियों मे प्रस्तुत किया जायेगा)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक..................................

सेवा में,

निदेशक,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के नियम 8 के अनुसार ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के टनलों, Open excavation व रिवर ट्रेनिंग स्थलों से निकलने वाले मक/उपखनिज के भण्डारण एवं प्रयोग की अनुमति परियोजना की अवधि तक दी जाये।

2. उक्त नियमावली के नियम 8 के अधीन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे निर्धारित शुल्क ₹ 50,000/– कोषागार चालान संख्या................................दिनांक..........................के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है।

3. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है:–..

4. आवेदक का नाम व पूरा पता..

5. टनल क्षेत्र का नाम..

6. रेलवे टनल का क्रमांक ....

7. रेलवे टनल की कटाई की चौड़ाई/माप..

8. रेलवे टनल की लम्बाई/माप..

9. यदि टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण.................

10. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप ....

11. डम्पिंग साईट का विवरण..

12. Bore Hole Log का विवरण..

13. रेलवे परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार टनल से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित मात्रा (घनमीटर में) ....व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित मात्रा (घनमीटर में)..

14. रेलवे परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार टनल से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा मे उपयोगार्थ मक (Muck) की मात्रा (घनमीटर मे) ....व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा मे उपयोगार्थ मक (Muck) की मात्रा (घनमीटर मे)....................

15. कोई अन्य विवरण या रेखा–मानचित्र (स्कैच मैप) जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहें..

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर।

प्रपत्र एच–2

मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप
(नियम–8 क)

1. आवेदक का नाम व पूरा पता..

2. रेलवे टनल क्षेत्र का नाम..

3. रेलवे टनल का क्रमांक ....

4. रेलवे टनल की कटाई की चौड़ाई/माप..

5. रेलवे टनल की लम्बाई/माप..

6. यदि टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण....................

7. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप ....

8. डम्पिंग साईट का विवरण..

9. Bore Hole Log का विवरण..

10. रेलवे परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार टनल से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा..................

11. रेलवे परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार टनल से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा मे से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck) की मात्रा (घनमीटर में) ....

12. रेलवे परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में)......................

12. रेलवे परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा मे से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck) की मात्रा (घन मीटर मे).

    ....

13. मौका निरीक्षण के समय टनल से निकाले गये मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में)...................

14. मौका निरीक्षण के समय टनल से निकाले गये मक (Muck) मे से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में)..

15. मौका निरीक्षण के समय टनल से निकाले गये मक (Muck) की कुल क्रमिक मात्रा (घन मीटर मे)................तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck) की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में)..

16. मौका निरीक्षण के समय Open excavation से निकाले गये मक (Muck) की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).........तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck) की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में)...................................

17. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार प्रस्तावित उपयोगार्थ (Usable) मक की कुल मात्रा (घनमीटर में) ....के सापेक्ष टनल से समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck) की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर मे).. में अन्तर (घनमीटर में)................................

18. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) व समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck) के क्रमिक योग में अन्तर अधिक है तो अन्तर के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी व अन्य देयों की धनराशि (₹ में)........................... और यदि अन्तर कम है तो समायोजित की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि (₹ में)...........

....

19. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है..

20. गठित समिति की संस्तुतिः–

अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।
(सदस्य)

क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। **(सदस्य)**	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी **(सदस्य)**	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी **(सदस्य)**
प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी **(सदस्य)**	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी **(सदस्य)**	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी **(संयोजक)**